



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 07.10.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 475/24 व मु0अ0सं0 476/24 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.10.2024 को वादिनी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फिरोज पुत्र अहसान निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा शराब के नशे में वादिनी व वादिनी के पति व पुत्रियों के साथ गाली गलौच करते हुए लात घूसों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 0475/24 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम फिरोज उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 07.10.2024 को वादी हो0गा0 463 सीताराम पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम मिलक जहांगीराबाद उर्फ साहनपुर नवादा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त फिरोज पुत्र अहसान निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने नशे की हालत में शरारत करते हुए वादी की बाइक होण्डा युगा नं0 UK07AX-1889 पर माचिस की तीली डालकर आग लगा दी । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 476/24 धारा 326(जी) बीएनएस बनाम फिरोज उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनो अभियोगों में वांछित अभियुक्त फिरोज पुत्र अहसान निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता –

फिरोज पुत्र अहसान निवासी मौ0 नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2-का0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3-का0 2366 मोनू थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक 07.10.2024

थाना धामपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की एक ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.10.2024 को वादी शहजाद पुत्र अमीर हुसैन नि0ग्राम किरार खेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की ई-रिक्शा चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 473/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त कमल शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी ग्राम तालामपुर कुमरारा थाना नहतौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कमल शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी ग्राम तालामपुर कुमरारा थाना नहतौर जनपद बिजनौर को चोरी की बिना नम्बर प्लेट की एक ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

अभियुक्त का नाम व पता –

कमल शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी ग्राम तालामपुर कुमरारा थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

बिना नम्बर प्लेट की चोरी की एक ई-रिक्शा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2-हे0का0 710 अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 3-का0 1687 शराफत अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 07.10.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता
1	नगीना	युसुफ पुत्र शब्बीर छीपी निवासी मझेडा थाना नगीना
2	को० देहात	सायबा पत्नी बवाब निवासी ग्राम मंगोलपुरा थाना कोतवाली देहात
3	को० देहात	भगवाना पुत्र कुन्नु सिंह निवासी ग्राम नूरअलीपुर भगवंत डेहरी थाना कोतवाली देहात
4	नजीबाबाद	कासिम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम किशोरपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5	नजीबाबाद	साकिब पुत्र साबिर निवासी मछली बाजार थाना नजीबाबाद
6	मण्डावली	नरेश कुमार पुत्र धर्मपाल सैनी निवासी ग्राम रामपुर चाठा थाना मण्डावली
7	बढापुर	कपिल उर्फ मोटा पुत्र तोताराम नि० साहअलीपुर कोटरा थाना बढापुर
8	बढापुर	वीर सिंह पुत्र भरता सिंह नि० सदातपुर गढी थाना बढापुर
9	बढापुर	जगदीश उर्फ छोटे पुत्र भरत सिंह नि० मुकन्दपुर राजमल थाना बढापुर
10	नूरपुर	फुरकान पुत्र नजीर निवासी उमरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



थाना नगीना



थाना कोतवाली देहात





थाना नजीबाबाद



थाना मण्डावली



थाना बढापुर



थाना नूरपुर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद

दिनांक 07.10.2024

**थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 478/24 धारा 70(1)/351(2) बीएनएस में
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 24.09.2024 को वादिनी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 23.09.2024 को शाम के समय अभियुक्तगण 1- राजेन्द्र सिंह पुत्र नामालूम 2- दीपक पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम शाहपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने काम दिलाने का झांसा देकर होटल में गलत काम किया गया । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 478/24 धारा 70(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही -

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 478/24 धारा 70(1)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त 1- राजेन्द्र पुत्र रामपाल सिंह 2- दीपक पुत्र राम सिंह निवासीगण ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- 1- राजेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद बिजनौर ।
- 2- दीपक पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ0नि सुभाष चन्द यादव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी सुनिल कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी अमजद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 4- आरक्षी सनुज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 07.10.2024

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.03.2024 को वादी श्री लखविन्दर सिंह पुत्र जनरैल सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण भूल्लन पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर आदि 05 नामजद व 02 अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें वादी के कुत्ते को गोली लग गयी और जिससे कुत्ते की मृत्यु हो गयी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, मुरादाबाद से की जा रही है।



कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/24 धारा 147/148/149/307/429 भादवि में वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में एक बाल अपचारी को पूर्व में ही नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है।

अभियुक्त का नाम व पता –

फुरकान पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम पाडला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2- मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3- मुख्य आरक्षी गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 4- आरक्षी संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 5- आरक्षी संदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 6- आरक्षी बालेन्द्र थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।